निदेशक की कलम से

संस्थान की वर्ष 2006–2007 की वार्षिक रिपोर्ट आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। संस्थान ने पिछले अनेक वर्षों की तरह ही वर्ष 2006–2007 में भी संस्थान के इतिहास में गतिविधियों से भरपूर अपनी यात्रा जारी रखी। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई गतिविधियां इसका प्रमाण हैं। तथापि मैं रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संस्थान की कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहूंगा।

एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण प्रक्रिया में संलग्न रहने के अपने सर्वोच्च लक्ष्य को हासिल करने के चिरकालिक स्वप्न को साकार करने के क्रम में संस्थान ने इस वर्ष भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित कीं। इन्हें प्राप्त करने में निःसंदेह संस्थान की संकाय और स्टाफ के कड़े परिश्रम और कार्यकुशलता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुझे विश्वास है कि संस्थान इस वर्ष भी अपने बहुआयामी कार्यक्रमों और गतिविधियों, विशेष रूप से हमारे देश की असंख्य महिलाओं और बच्चों के हित के कार्यक्रमों और गतिविधियों के निष्पादन के जरिए समाज के स्तर पर व्यापक रूप से की गई उन प्रत्याशाओं के अनुरूप कार्य करने में सक्षम रहा है जिसकी निपसिड जैसे संस्थान से आशा की जाती है।

बच्चे के व्यापक विकास हेतु अनिवार्य और जरूरत–आधारित कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समाज विकास में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण तथा जेंडर संबंधी मुद्दों, विशेषतः महिलाओं के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना संस्थान के मुख्य कार्यों में शामिल है। पहले की तरह ही अपनी प्रतिबद्धताओं को जारी रखते हुए नई दिल्ली स्थित मुख्यालय ने उन कार्यक्रमों और गतिविधियों पर अपना ध्यान केन्द्रित रखा जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आयामों की हैं और बेंगलूर, गुवाहाटी, इंदौर तथा लखनऊ स्थित इसके क्षेत्रीय केन्द्रों ने क्षेत्रीय स्तर पर क्षमता निर्माण की गतिविधियों का आयोजन जारी रखा। यह संस्थान समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्था भी है। संस्थान को स्वयंसिद्धा परियोजना के लिए अग्रणी प्रशिक्षण संस्था के रूप में चुना गया है जिसे ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2001 में शुरू किया गया था।

संस्थान की गतिविधियां दो विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं जिनके नाम हैं मातृ देखभाल एवं बाल विकास विभाग और प्रशिक्षण एवं सामान्य सेवा विभाग। प्रत्येक विभाग का प्रमुख एक अपर निदेशक

Director Desk.pmd 1 2/7/2008, 1:51 PM

है। इन दो विभागों के अंतर्गत पांच कार्यक्रम प्रभाग कार्यरत हैं। ये प्रभाग हैं : जन सहयोग, बाल विकास, महिला विकास, प्रशिक्षण तथा मानीटरिंग एवं मूल्यांकन। इनमें से प्रत्येक प्रभाग का प्रमुख एक संयुक्त निदेशक है। संस्थान का महिला एवं बाल प्रलेखन केन्द्र (डीसीडब्ल्यूसी) एक विशिष्ट प्रलेखन एवं संदर्भ केन्द्र है जो देश और विदेश में महिलाओं और बच्चों पर सूचना का प्रसार करता है। संस्थान के चार क्षेत्रीय केन्द्र हैं जिनमें से प्रत्येक का प्रमुख एक क्षेत्रीय निदेशक है। ये केन्द्र क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श संबंधी जरूरतें पूरी करते हैं।

संस्थान के साधारण निकाय और कार्यकारी परिषद नामक दो संवैधानिक निकाय हैं। साधारण निकाय संस्थान की समग्र नीतियां बनाती है और कार्यकारी परिषद संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इन दोनों निकायों में सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संस्थान महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है और ये इसकी साधारण निकाय के सभापति हैं। साधारण निकाय के सभापति कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भी हैं।

संस्थान अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आयोजित करता है – नियमित कार्यक्रम (इसमें निःशुल्क तथा प्रायोजित कार्यक्रम शामिल हैं), समेकित बाल विकास सेवा योजना कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण तथा अन्य परियोजनाओं स्वयंसिद्धा, कपार्ट आदि का क्षमता निर्माण के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम। इन तीनों व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों के मुख्य अंश अगले अध्यायों में दिए गए हैं। वर्ष 2006–2007 के दौरान पहली श्रेणी के अन्तर्गत संस्थान ने 142 कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 4147 सहभागियों ने भाग लिया; दूसरी श्रेणी के अतंर्गत संस्थान ने 62 कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 1471 सहभागियों ने भाग लिया तथा तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत 36 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 962 सहभागियों ने हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों में इन विषयों को व्यापक रूप से शामिल किया गया – छोटे बच्चों और महिलाओं का पोषण और स्वास्थ्य; आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास; बाल निर्देशन और परामर्श; बच्चों की देखभाल और सुरक्षा; सामजिक संगठनों को सुदृढ़ बनाना; जनजातीय समुदाय का कल्याण और विकास; जेंडर सुग्राह्यता; जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम; जेंडर आयोजना और महिलाओं को मुख्यधारा में लाना; महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं को सुदृढ़ बनाना।

बच्चों और किशोरों के लिए परामर्श संबंधी मध्यस्थताओं की अत्यधिक मांग के अनुरूप संस्थान मार्गदर्शन और परामर्श पर, जो कि संस्थान की विशेषज्ञता का एक क्षेत्र भी है, कई वर्षों से विभिन्न सेवाग्राहियों के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन कार्यक्रमों से अर्जित अनुभव के जरिए संस्थान को **बाल निर्देशन और परामर्श** में एक वर्षीय एक पूर्णकालीन उच्च डिप्लोमा विकसित करने की प्रेरणा मिली जिसका उद्देश्य विभिन्न परिवेशों के बच्चों और उनके परिवारों को मार्गदर्शन और परामर्शी मध्यस्थताएं देने के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों की कमी को पूरा करना था। मुझे यह घोषणा करते हुए असीम प्रसन्नता हो रही है कि इस पाठ्यक्रम के पहले बैच ने अगस्त 2006 में यह डिप्लोमा सफलतापूर्वक पूरा किया। इसमें 13 विद्यार्थी थे। इस पाठ्यक्रम के कार्य–सम्पादन को सुदृढ़ बनाने के लिए एक **कार्यशाला** का आयोजन करके पाठ्यक्रम की संरचना और विषयवस्तु की समीक्षा के जरिए इसे अब विद्यार्थियों के और अधिक अनुकूल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, संस्थान संगठनों और बाल संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के लिए परामर्श सेवाओं पर कई

अनुशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर चुका है। भूटान सरकार के अनुरोध पर संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र, बेंगलूर ने भूटान के शिक्षकों के लिए **परामर्श और मार्गदर्शन** पर छह महीने का एक **डिप्लोमा पाठ्यक्रम** भी आयोजित किया जिसमें भूटान के 12 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

बच्चे स्कूल, परिवार और साथियों के जबरदस्त दबावों का सामना कर रहे हैं अतः उनमें व्यवहार संबंधी समस्याओं के मामले भी बढ़ रहे हैं। परिणामस्वरूप अभिभावकता पर विशेष बल दिए जाने की जरूरत महसूस हुई है। वर्षों से बाल निर्देशन क्लिनिक चलाने से प्राप्त अनुभव के आधार पर हमें पता है कि माता पिता को बच्चों और किशोरों की विकासात्मक चिन्ताओं के समाधान और बच्चों के पालन–पोषण में उनकी भूमिका में आत्मविश्वास लाने के लिए सहायता की जरूरत है। समय की मांग को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने माता–पिता, शिक्षकों, बाल देखभाल संस्थाओं के कार्यकर्ताओं और बेघर बच्चों के शिक्षकों आदि के लिए **बच्चों को समझने और उन्हें परामर्श देने पर** अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

प्रत्येक बच्चे के जीवन की यथासंभव सर्वोत्तम शुरूआत हो अर्थात् सुरक्षित जन्म, नवजात शिशु की अच्छी देखभाल और उसे अच्छा पोषण मिले यह सुनिश्चित करना देश की एक मुख्य प्राथमिकता है। यह स्वीकृत तथ्य है कि कुपोषण न केवल एक मूक आकस्मिकता है बल्कि यह एक अदृश्य संकट भी है। निश्चित रूप से बेहतर सूचना रणनीतियों और अधिक सुगम शिक्षा कार्यक्रमों के बिना कुपोषण का सामना करने के लिए अपेक्षित जागरूकता, कुशलताओं और आदतों का विकास नहीं किया जा सकता। इस विषय पर बेहतर समझबूझ और जागरूकता लाने के विचार से संस्थान ने इस वर्ष भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जिनका उद्देश्य अल्पपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों के कुपोषण की रोकथाम करना; सामुदायिक और पारिवारिक स्तर पर खाद्य एवं पौषणिक सुरक्षा की उपलब्धि; शिशु और छोटे बच्चे को आहार देना; तथा पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के तरीकों पर स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण करना था।

देश में मातृ मृत्यु दर और रुग्णता दर समेत प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं महिलाओं की मृत्यु और विकलांगता का एक प्रमुख किन्तु रोकथाम योग्य कारण है। अतः महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य की सुरक्षा के बारे में जानकारी, सेवाएं और स्थितियां उपलब्ध कराने में असफल रहने से जेंडर आधारित भेदभाव होता है और स्वास्थ्य तथा जीवन से संबंधित महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है। निपसिड देश में मातृ, नवजात और बाल मृत्यु दर घटाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और राष्ट्रीय बाल नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देने के लिए कटिबद्ध है।

देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अपनाने तथा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का द्वितीय चरण शुरू करने के साथ गैर–सरकारी संगठनों को महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी हो गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं से संबद्ध गैर–सरकारी संगठनों को जानकारी देने के लिए **प्रजनन स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन शिक्षा और एचआईवी/एड्स** पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता लाना वस्तुतः संस्थान के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।

किशोरावस्था को अत्यन्त महत्वपूर्ण अवधि मानते हुए संस्थान किशोर वृद्धि और विकास के बारे में उन

सभी में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है जो किशोरों के लिए कार्य कर रहे हैं। संस्थान ने इस विषय पर स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं, स्कूल शिक्षकों और प्राचार्यों जैसे विभिन्न सेवाग्राहियों के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। स्कूल से बाहर की किशोरियों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के विचार से **बुनियादी स्तर पर किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु प्रशिक्षण सामग्री के विकास पर कार्यशाला** का आयोजन किया गया। जनजातीय किशोरियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जनजातीय विकास के लिए कार्यरत अधिकारियों को जानकारी देने के अभिप्राय से **पारिवारिक जीवन शिक्षा पर जनजातीय किशोरियों के परामर्श हेतु गैर–सरकारी संगठनों के लिए अनुशिक्षण पाठ्यक्रम** का आयोजन किया गया।

यह मानते हुए कि बाल देखभाल कार्यकर्ता बाल देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, संस्थान ने शिशुगृह कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों और शिशुगृह चलाने वाले स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए भी **शिशुगृहों के प्रबंधन पर** कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चे संस्थान द्वारा बल दिए जाने वाले महत्वपूर्ण विषयों में से हैं जिन्हें विभिन्न स्तरों पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता की जरूरत होती है। संस्थान ने इस जरूरत को पहचानते हुए **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2000 पर स्वैच्छिक संगठनों के अधिकारियों और सामाजिक सक्रियतावादियों के लिए तीन सुग्राह्यता कार्यक्रम** आयोजित किए जिनका उद्देश्य सहभागियों को इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों और इसके कार्यान्वयन के तरीके की जानकारी देना था।

बच्चों और महिलाओं के विकास हेतु कार्यक्रमों के लिए गैर–सरकारी संगठनों को जुटता और उनकी अधिक भागीदारी से विकास प्रक्रिया में गति लाने और बच्चों हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना के अंतर्गत बच्चों के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने की संभावित क्षमता में वृद्धि हुई है। तदनुसार बच्चों के अधिकारों के बारे में जानकारी के प्रसार में उनकी भागीदारी और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए संस्थान ने स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के लिए **बाल अधिकारों, नीतियों और कानूनों; बाल विवाह की रोकथाम; दत्तक ग्रहण और संरक्षण से संबंधित कानूनों** जैसे विभिन्न विषयों पर अनुशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया।

स्वैच्छिक क्षेत्र के योगदान की परम्परा किसी भी देश के समाजार्थिक विकास में मौजूद रही है तथापि बुनियादी स्तर पर कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में बहुत कम अथवा बिलकुल जानकारी नहीं होती। उनमें व्यावसायिक और तकनीकी कुशलताओं का भी अभाव होता है। देश में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने और उसे सुदृढ़ बनाने के अपने उद्देश्य के अनुसरण में संस्थान ने अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय केन्द्रों में संबंधित विभिन्न विषयों पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। ये कार्यक्रम **स्वैच्छिक संगठन की स्थापना और प्रबंधन, सामुदायिक संघटन और भागीदारी, परियोजना गठन, कानूनी विनियम और वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के तरीके और अच्छा शासन** जैसे विषयों पर आयोजित किए गए। समुदाय की जानकारी, सोच और व्यवहार के स्तरों में बदलाव लाने के जरिए समुदाय को सशक्त बनाने में पीएलए तकनीकों पर आयोजित कार्यक्रमों का बहुत महत्व है। अतः ये कार्यक्रम संस्थान द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण

Director Desk.pmd 4 2/7/2008, 1:51 PM

पाठ्यक्रमों में से हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संस्थान ने **जनजातीय समुदायों के विकास के लिए समेकित लघु आयोजना** पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया।

पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को भागीदारी करने योग्य बनाने के लिए संविधान में किए गए 73 वें संशोधन के साथ यह जरूरी हो गया है कि उन्हें पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाए ताकि वे अपने कर्तव्य कारगर ढंग से निभा सकें। इस विचार को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के लिए **महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों,** जैसे कि शीघ्र विवाह, दहेज, बालिका भ्रूण हत्या, बालिका शिशुहत्या, बच्चे से भेदभाव, घरेलू हिंसा आदि पर पंचायती राज निकायों की चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के लिए अनेक अनुशिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इस क्षेत्र में अर्जित किए गए व्यापक अनुभव के आधार पर संस्थान द्वारा अगले वर्ष एक प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करना प्रस्तावित है जिसे कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज निकायों के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण संस्थानों को सौंपा जाएगा।

निपसिड का दृढ़ विश्वास है कि **जेंडर सुग्राह्यता प्रशिक्षण** सेवा प्रदाय को अधिक जेंडर सुग्राही बनाने के जरिए जानकारी बढ़ाने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कारगर साधन के रूप में कार्य कर सकता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने पुलिस अधिकारियों, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों, गैर–सरकारी संगठनों और सरकारी अधिकारियों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए।

जेंडर आयोजना और महिलाओं को मुख्यधारा में लाना संस्थान की विशेषज्ञता का एक अन्य क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत विकास प्रक्रिया में महिलाओं और पुरुषों के बीच सुनियोजित असमानताओं के मूल कारणों का समाधान करने की क्षमता है। इस चुनौती को पूरा करने के लिए संस्थान ने महिला अध्ययन केन्द्रों, महिला विकास निगमों, शैक्षिक संस्थाओं और गैर–सरकारी संगठनों हेतु **जेंडर आयोजना और महिलाओं को मुख्यधारा में लाने पर प्रशिक्षण** आयोजित किया। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में जेंडर विश्लेषण और इसके महत्व के बारे में सहभागियों को स्पष्ट परिप्रेक्ष्य विकसित करने योग्य बनाने के विचार से **संस्थान ने स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में जेंडर परिप्रेक्ष्यों के समेकन पर प्रशिक्षण** भी आयोजित किया।

जेंडर–आधारित हिंसा मानव अधिकारों के दुरुपयोग का एक सर्वाधिक विकृत रूप है। इसमें जेंडर दुर्व्यवहार से लेकर बलात्कार और जन्मपूर्व लिंग चयन से लेकर बालिका शिशुहत्या तक के अन्यायपूर्ण कृत्य शामिल हैं। जेंडर–आधारित हिंसा का सामना करने के अपने कार्य के एक भाग के रूप में निपसिड ने उन सभी के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं जो महिलाओं के लिए कार्यरत हैं ताकि उन्हें हिंसा की शिकार महिलाओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाया जा सके और उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। वर्ष के दौरान संस्थान ने **जेंडर आधारित हिंसा जैसे – लिंग निर्धारण के आधार पर गर्भपात, बालिका शिशुहत्या, बाल विवाह, बाल वेश्यावृत्ति, कार्यस्थल, स्कूलों और घर पर यौन उत्पीड़न** आदि विभिन्न विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें नये बनाए गए अधिनियम **घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के** बारे में जागरूकता लाना शामिल है।

मानवों का अनैतिक व्यापार दुनिया भर के अनैतिक व्यापारकर्ताओं के लिए भारी मुनाफा कमाने का जरिया बन गया है। यह समस्या व्यापक रूप से फैली हुई है। अनैतिक व्यापार की समस्या से निपटने की

Director Desk.pmd 5 2/7/2008, 1:51 PM

रणनीतियों और मध्यस्थताओं में निम्नलिखित शामिल होनी चाहिएं : अनैतिक व्यापार के स्वास्थ्य संबंधी परिणामों के बारे में जानकारी और जागरूकता लाने वाले अभियान; पुरुषों पर केन्द्रित अभियान; प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था; अनैतिक व्यापार के पीड़ितों को परामर्श। संस्थान ने **महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार की रोकथाम** विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार, मीडिया सुग्राह्यता कार्यशालाएं और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया।

देश में अनैतिक व्यापार और यौन शोषण के शिकार बच्चों के लिए परामर्श सेवाओं का अभाव पूरी तरह स्पष्ट है। अनैतिक व्यापार, दुर्व्यवहार और शोषण से बचाए गए बच्चों के लिए कार्यरत कार्मिकों को अनैतिक व्यापार–अवरोधी और साथ ही साथ उनके पुनर्वास परिप्रेक्ष्य, दोनों में शामिल जटिल मुद्दों की पूरी समझ होना जरूरी है। संस्थान ने **अनैतिक व्यापार से बचाए गए बच्चों हेतु परामर्श सेवाओं** के क्षेत्र में अपना स्थान बनाया है। इस विषय पर एक माड्यूल तैयार किया गया है और इस माड्यूल का इस्तेमाल करने के लिए अनैतिक व्यापार से बचाए गए बच्चों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण भी दिया गया।

मानवाधिकारों के अनुसमर्थन में कई अन्तरराष्ट्रीय समझौतों के बावजूद महिलाएं अभी भी पुरुषों की तुलना में अधिक निर्धन, कुपोषित और निरक्षर हैं । चिकित्सीय देखभाल, सम्पत्ति के स्वामित्व, ऋण, प्रशिक्षण और रोजगार के लिए उनकी पहुंच आमतौर पर पुरुषों से कम है । निपसिड समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में नागरिक समाजों को जुटाने के कार्य में संलग्न है क्योंकि इनकी बुनियादी स्तर पर व्यापक पहुंच होती है और ये महिलाओं के लिए स्टैप, स्वाधार, अल्पावासगृहों, परिवार परामर्श केन्द्र, कामकाजी महिलाओं के छात्रावास आदि जैसे गैर–सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के बारे में उनमें जागरूकता ला सकते हैं। वर्ष के दौरान इस विषय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्थान ने स्व–सहायता समूहों के प्रशिक्षकों के लिए **लघु उद्यम और लघु व्यवसाय विकास** पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए **स्व–सहायता समूहों के गठन** पर अनुशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए।

कारगर समन्वय तंत्र बनाने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के बीच सामान्य विषयों की पहचान करने और उनके विकास के उद्देश्य से **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों और प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बीच संपर्क सुदृढ़ बनाने** के लिए **क्षेत्रीय कार्यशाला** का आयोजन भी किया गया।

समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्था होने के नाते संस्थान ने वर्ष के दौरान प्रशिक्षण की आयोजना, इसके आयोजन, समन्वय और मानीटरिंग के सभी निर्धारित कार्य पूरे किए। पहले की तरह ही संस्थान ने बाल विकास परियोजना अधिकारियों/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों और सुपरवाइजरों के लिए कार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। प्रशिक्षण में संलग्न संस्थाओं की क्षमताएं बनाने के विचार से इसने प्रशिक्षकों के लिए अनेक अनुशिक्षण, पुनश्चर्या और कुशलता प्रशिक्षण आयोजित किए। वर्ष के दौरान आईसीडीएस के अन्तर्गत किए गए अन्य प्रमुख प्रयासों में **आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों/मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों का त्वरित मूल्यांकन और बाल विकास परियोजना अधिकारियों/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों, सुपरवाइजरों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण माड्यूलों को अन्तिम रूप देना** शामिल है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मौजूदा मानीटरिंग और मूल्यांकन एकक के अतिरिक्त भारत सरकार ने इस संस्थान के जरिए आईसीडीएस योजना के लिए नियमित मानीटरिंग और सुपरविजन तंत्र स्थापित करने का निश्चय किया है। मानीटरिंग और सुपरविजन के इस नए ढांचे की तीन स्तरीय व्यवस्था होगी, अर्थात इसमें समुदाय, राज्य और राष्ट्र स्तर पर मानीटरिंग की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संस्वीकृति के अनुसार संस्थान में राष्ट्रीय स्तर पर **केन्द्रीय मानीटरिंग एकक (सीएमयू)** की स्थापना की गई है। इस नए मानीटरिंग ढांचे में देश भर के मेडिकल कालेज, गृह विज्ञान महाविद्यालय, समाज कार्य विद्यालय और अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं को शामिल किया गया है ताकि योजना के प्रभाव और कारगरता का स्वतंत्र और उचित मूल्यांकन तथा विश्लेषण किया जा सके। संस्थान ने देश भर से संस्थाओं के चयन के लिए आईसीडीएस योजना की मानीटरिंग और सुपरविजन पर कार्यशाला आयोजित की ताकि आईसीडीएस की मानीटरिंग और सुपरविजन में शामिल होने के बारे में उनकी सहमति प्राप्त की जा सके।

संस्थान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। वर्ष 2006–07 के दौरान भी इसने विभिन्न संस्थाओं की तकनीकी/वित्तीय सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। **स्वयंसिद्धा** के लिए अग्रणी प्रशिक्षण संस्था के रूप में संस्थान से कार्यक्रम सहायक, प्रशिक्षण प्रदाता की बहुविध भूमिकाएं निभाने और प्रशिक्षण के लिए मानीटरिंग और मूल्यांकन संबंधी सहायता देने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष के दौरान प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्वयंसिद्धा का कार्यान्वयन कर रहे नोडल अधिकारियों के लए त्रैमासिक पुनरीक्षा बैठकों/जानकारी एवं पुनरीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया।

संस्थान की संकाय की विशेषज्ञता का उपयोग करने वाली बाहरी संस्थाओं के अनुरोध पर संस्थान ने प्रायोजित कार्यक्रमों का आयोजन जारी रखा। काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टैक्नोलॉजी (कपार्ट) के आग्रह पर संस्थान ने **कपार्ट के युवा व्यावसायिकों** के लिए दो **अनुशिक्षण प्रशिक्षण** कार्यक्रम आयोजित किए। संस्थान के मुख्यालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2000 पर दिल्ली पुलिस के सहयोग से दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के लिए अनुशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किया।

महिलाओं में एचआईवी/एड्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए संस्थान ने **नशीले द्रव्यों का सेवन करने वाली महिलाओं और नशीले द्रव्यों का सेवन करने वाले पुरुषों की महिला साथियों में नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित एचआईवी संवेदनशीलता पर उत्कृष्ट प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण** आयोजित किया। यह प्रशिक्षण यूएनओडीसी के सहयोग से आयोजित किया गया।

भारत मॉरीशस सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान ने वर्ष के दौरान **व्यावसायिक यौन शोषण हेतु महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार की रोकथाम और उसका सामना करने पर** मॉरीशस के सरकारी और गैर–सरकारी अधिकारियों के लिए अनुशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया।

क्षेत्रीय केन्द्र, बेंगलूर ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर **किशोरी शक्ति योजना के कार्यान्वयन पर** कर्नाटक राज्य के तालुका स्तर के कोर दलों हेतु चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी ने असम पुलिस कार्मिकों के लिए **समुदाय उन्मुखी और बालोपयोगी पुलिसिंग पर अनुशिक्षण** कार्यक्रम की श्रृंखला आयोजित की। क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर ने यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से 'भारत में बच्चों पर

सामुदायिक जानकारी' नामक अध्ययन करने के उद्देश्य से तीन गैर–भारतीय इंटर्न्स के लिए **इन्टर्नशिप कार्यक्रम** का आयोजन किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्थान के लखनऊ और गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों को **चाइल्ड लाइन** के लिए नोडल संगठनों के रूप में चुना जाना कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए संस्थान द्वारा किए गए मुख्य प्रयासों में से एक है। चाइल्ड लाइन फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही चाइल्ड लाइन परियोजना इस समय 66 शहरों में चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के आयु समूह के सर्वाधिक हाशिए पर रह रहे बच्चों तक पहुंचना है। यह सेवा चिकित्सीय सहायता, आश्रय, दुर्व्यवहार से सुरक्षा, पुनर्समेकन, भावात्मक सहायता और मार्गदर्शन, सूचना और रेफरल सेवाओं के लिए की जाने वाली कॉलों पर खासतौर पर प्रतिक्रियाशील है।

वर्ष के दौरान संस्थान ने अनेक अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन, संकलन और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी कीं। इनमें से कुछ निम्नलिखत हैं :

1. बेघर बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम : एक मूल्यांकन
2. देश के भीतर दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशुगृहों को सहायता देने की योजना का मूल्यांकन
3. मुस्कान – एक गैर सरकारी संगठन का केस अध्ययन
4. वाराणसी में पारिवारिक न्यायालय : एक केस अध्ययन
5. महिला सशक्तिकरण के जेंडर संबंधी ढांचे का विश्लेषण : केरल राज्य के कदम्बश्री कार्यक्रम का केस अध्ययन
6. महिला विकास संगठनों द्वारा कार्यान्वित स्टैप परियोजना का मूल्यांकन
7. मध्य प्रदेश में बच्चों के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के वैकल्पिक मॉडल – स्वैच्छिक संगठनों का केस प्रोफाइल
8. गुजरात में आईसीडीएस सुपरवाइजरों की भूमिका की कारगरता का विश्लेषण
9. मध्य प्रदेश में मिड–डे मील योजना – एक अध्ययन
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाल विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों का एक अध्ययन

निपसिड संस्थान में मानव संसाधन विकास पर भी बहुत बल देता है। संकाय और स्टाफ को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में सर्वोत्तम जानकारी प्रदान करने के लिए उन्हें समय–समय पर भारत और विदेशों की प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। उनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है : वर्ष 2006–07 के दौरान डा0 एम. एस. तारा को मार्केटिंग आफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टीट्यूट के अन्तरराष्ट्रीय कोड के कार्यान्वयन पर पेन्नांग, मलेशिया में आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। डा0 मधु अग्रवाल ने यूनिसेफ, नई दिल्ली के सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श बैठक में भाग लिया। इन्होंने विश्व में बाल मृत्युदर में कमी लाने के सहस्त्राब्दिक विकास लक्ष्यों पर यूनिसेफ, लखनऊ द्वारा आयोजित कार्यशाला में भी हिस्सा लिया। डा0 बी. एस. अनुराधा को दिल्ली में राष्ट्रीय

Director Desk.pmd 8 2/7/2008, 1:51 PM

स्तर के प्रशिक्षण कार्यबल की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। इन्होंने आईसीडीएस में आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पर विश्व बैंक द्वारा दिल्ली में आयोजित परामर्श कार्यशाला में भी भाग लिया। डा0 अशोक कुमार ने भारत में बच्चों में अल्प पोषण और आईसीडीएस : सुधार और कार्रवाई की आवश्यकता विषय पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। श्री पी. के. बरुआ को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 हेतु कार्यालय प्रक्रियाओं की पुनर्निर्माण पर भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। श्रीमती शान्ता गोपालकृष्णन को बीपीएनआई के सहयोग से यूसीएमएस और जीटीबी अस्पताल, दिल्ली द्वारा आईवाईसीएफ पर परामर्श देने हेतु प्रशिक्षकों के द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। सुश्री मनोरमा कौल ने किशोर न्याय प्रणाली पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। श्री भरत कुमार को यूसेड से सहायता प्राप्त कार्यक्रम – ए टू जेड द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों पर आयोजित राज्य परामर्श बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। श्रीमती सुनीता माथुर ने जन–साधारण हेतु नीतियों, कार्यालय प्रशासन और लेखा–विधि पर बटरफ्लाइज और ककून कंसल्टिंग द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। डा0 डी. के. सैकिया और सुश्री के. सुनीता को अनैतिक व्यापार के शिकार व्यक्तियों की देखभाल और सहायता के न्यूनतम मानक तथा पूर्वी भारत में हिंसा की अन्य प्रवृत्तियां और क्षेत्रीय पीड़ित/साक्ष्य सुरक्षा नयाचार (रीजनल विक्टिम/विटनेस प्रोटेक्शन प्रोटोकोल) विषयों पर इम्पल्स एनजीओ नैटवर्क, शिलांग और संलाप, कोलकाता द्वारा आयोजित परामर्श बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

वर्ष के दौरान बहुत सी पदोन्नतियां हुईं। श्री बी. आर. सिवाल, श्रीमती मीनाक्षी सूद, श्रीमती निर्मल टिक्कू, श्री एस. सी. श्रीवास्तव और डा0 सलिल कुमार उप निदेशक के पद पर प्रोन्नत हुए। श्री भरत कुमार और श्री के. सी. जार्ज सहायक निदेशक के पद पर प्रोन्नत हुए। श्री आर. जे. बरुआ को अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पद पर प्रोन्नत किया गया। श्री ओम प्रकाश, अवर श्रेणी लिपिक/टाइपिस्ट के पद पर और श्री सम्पत कुमार चालक के विशेष ग्रेड के पद पर प्रोन्नत हुए। इसके अतिरिक्त उन्नीस स्टाफ सदस्य ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए।

वर्ष के दौरान डा0 उशा अब्रौल, क्षेत्रीय निदेशक, बेंगलूर, श्री आर. एस. रावत, सहायक प्रशासन अधिकारी, श्री करमचंद, चौकीदार और श्री दर्शन सिंह, चपरासी एवं संदेशवाहक सेवानिवृत्त हुए।

मैं संस्थान की ओर से अध्यक्ष श्रीमती रेणुका चौधरी, माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उपाध्यक्ष श्रीमती दीपा जैन सिंह, श्रीमती मुनेश निरवाल, श्रीमती शिखा कपूर और पदमुक्त उपाध्यक्ष डा0 मनोरमा पटवर्धन और श्री भरत सिंह मीणा तथा उपाध्यक्ष सुश्री अलका लाम्बा द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं साधारण निकाय, कार्यकारी परिषद के प्रतिष्ठित सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने संस्थान को अपना अमूल्य समय और उपयोगी सुझाव दिए। हम उन व्यावसायिकों, विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और तकनीकी संस्थाओं तथा गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के भी आभारी हैं जिन्होंने संस्थान के कार्यक्रमों और गतिविधियों के आयोजन में सहायता और सहयोग दिया। हम प्रभागीय और क्षेत्रीय केन्द्र के स्तरों पर गठित अनुसंधान/परियोजना सलाहकार समितियों के सदस्यों को भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अनुसंधान अध्ययनों और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के

कार्यान्वयन में संकाय सदस्यों को मार्गदर्शन और सहायता दी। हम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों, यूनिसेफ, यूएनओडीसी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने संस्थान को निरन्तर अपना सहयोग दिया है। मैं संस्थान की संकाय और स्टाफ की भी सराहना करना चाहता हूं जिनके सहयोग से संस्थान ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक अनेक उपलब्धियां अर्जित कीं।

कुल मिला कर वर्ष 2006–2007 की यह समयावधि पर्याप्त विकास की अवधि रही। इस दौरान संस्थान ने न केवल अपनी मौजूदा गतिविधियों को सुदृढ़ किया बल्कि अनेक नए कार्यक्रम भी शुरू किए। मैं उन सभी को, जो निपसिड से जुड़े हुए हैं, यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि निपसिड नवीन बल, उत्साह और निर्धारित उद्देश्य के स्पष्ट बोध के साथ निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा।

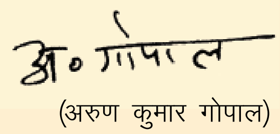

(अरुण कुमार गोपाल)

निदेशक